Order sheet [Contd]

case No BA 74/2018

Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Pleaders where necessayry

27-02-18

03:30 to 03:45 PM

एवं मोहर श्री सहित श्री जी.एस. गुर्जर अभियुक्त प्रकाश अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उप०।

अभियुक्त / आवेदक प्रकाश की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं0प्र0सं0 का एवं बंदूक के लाइसेंस की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। नकल अभियोजन को दिलाई गई।

🧥 अभियुक्त / आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा–451 दं०प्र0सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के पुत्र पवन एवं सुनील ने जमीन के बंटवारे के ऊपर से निकाल दिया तथा सुनील के द्वारा अपनी पत्नी मनीषा के माध्यम से आवेदक आवेदक एवं उसकी पत्नी के विरूद्ध झुटा अपराध क्रमांक 189 / 17 अंतर्गत धारा—308, 506बी / 34 भा0दं0सं0 का पंजीबद्ध करा दिया। जिसमें आवेदक को हिरासत में लेकर ओवदक की लाइसेंसी बंदूक 315 बोर की बदूक कमांक ए.बी. 05 / 09462 को जप्त कर लिया है। उक्त बंदूक का कोई उपयोग नहीं हुआ है। बंदूक के थाने पर रखे रहने से उसके खराब होने की संभावना है। उक्त आधारों पर जप्तशुदा बंदूक को वापस किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष को सूने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक प्रकाश की उक्त लाइसेंसी को बंदूक को पुलिस के द्वारा आवेदक के आधिपत्य से जप्त किया गया है। घटना में बंद्क का कोई प्रयोग नहीं बताया गया है केवल धमकी देने का उल्लेख है। आवेदक की ओर से असल लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, जिसे अवलोकन के पश्चात वापिस किया गया। आवेदक के द्वारा प्रस्तृत लाइसेंस का अध्ययन करने से भी स्पष्ट है कि उक्त बंदूक आवेदक के आधिपत्य की ही है। लाइसेंस पर उक्त 315 बोर की बंदूक क्रमांक ए.बी.05/094462 लिखा है। जिससे जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक का मिलान होता है। उक्त लाइसेंस दिनांक 01.12.2019 तक के लिए रिन्यू किया गया है।उउक्त बंदूक की साक्ष्य में आवश्यकता नहीं है, उसे अनावश्यक रूप से रखे रहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उसे लाइसेंसधारी को सुपूर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आवेदक उक्त बंदूक का स्वामी होना प्रकट होता है। अतः आवेदक प्रकाश का आवेदन अतंर्गत धारा–451 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया। आवेदक की ओर से 60,000 / – रूपए का सुपुर्दगीनामा एवं इतनी

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
ELINIS.	ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय के प्रस्तुत किए जाए कि जब भी न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाएगा, वह उक्त बंदूक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेगा, उसे कहीं खुर्द बुर्द अथवा विक्रय नहीं करेगा, किसी अपराध में उसका उपयोग नहीं करेगा तो उसे उक्त जप्तशुदा 315 बंदूक सुपुर्दगी पर दी जाए। प्रकरण आरोप तर्क हेतु भी नियत है। परंतु बचाव पक्ष की ओर से आरोप तर्क हेतु एक अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया गया। प्रकरण आरोप तर्क हेतु पुनः पेश हो। (मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकेती) गोहद जिला भिण्ड	
	as a	0
	SILHERA PAREIRO SILIFICADO SILIFI	